"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 49] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 2 दिसम्बर 2016—अग्रहायण 11, शक 1938

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 5 नवम्बर 2016

क्रमांक ई-1-1-2016/1/2.—राज्य शासन एतद्द्वारा विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 25-10-2016, जिसके द्वारा श्री संजीव कुमार झा, (भा.प्र.से.-2011) को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सूरजपुर से अपर आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा, रायपुर के पद पर पदस्थ किया गया है, को निरस्त करता है.

2. विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 25-10-2016 जिसके द्वारा श्री जगदीश सोनकर, (भा.प्र.से.-2013) को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सूरजपुर के पद पर पदस्थ किया गया है, में संशोधन करते हुए श्री जगदीश सोनकर (भा.प्र.से.-2013) को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त अपर आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा, रायपुर के पद पर पदस्थ करता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.

नया रायपुर, दिनांक 9 नवम्बर 2016

क्रमांक ई-1-01-2016/1-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री शिव अनंत तायल, भा.प्र.से. (2012), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, संलग्न को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त उप सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पद पर पदस्थ करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढाँड, मुख्य सचिव.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 10 नवम्बर 2016

क्रमांक एफ 2-18/2010/नौ/55-तीन.—छत्तीसगढ़ आयुष स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम 2014 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात :—

संशोधन

उक्त नियम में,

कंडिका-8 (19) (ज) में शब्द 30 अक्टूबर व 31 अक्टूबर के स्थान पर क्रमश: अंक व शब्द 29 नवम्बर व 30 नवम्बर प्रतिस्थापित किया जाए. यह संशोधन शैक्षणिक सत्र 2016-17 हेतु लागू होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. टण्डन, अपर सचिव.

वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2016

क्रमांक एफ 06-64/2015/वाक.(पं.)/पांच.—विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 17-10-2016 द्वारा राज्य सेवा परीक्षा-2013 के माध्यम से जिला पंजीयक के पद हेतु चयनित श्री प्रवीण वर्मा पिता श्री देवशरण वर्मा की नियुक्ति आदेश जारी किया जाकर, उनकी पदस्थापना जिला पंजीयक, बिलासपुर (छ.ग.) में की गई थी. श्री प्रवीण वर्मा द्वारा विभाग के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर निजी कारणों से उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने में असमर्थता व्यक्त की गई है.

2. अत: राज्य शासन, एतद्द्वारा, विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 17-10-2016 द्वारा श्री प्रवीण वर्मा पिता श्री देवशरण वर्मा की जिला पंजीयक के पद पर नियुक्ति आदेश को निरस्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मरियानुस तिग्गा, अवर सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 28 अक्टूबर 2016

क्रमांक एफ 4-8/2006/32.—इस विभाग के आदेश क्रमांक 112/स./आ.पर्या./2001, दिनांक 25-07-2001 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-4 के अंतर्गत उप सचिव/संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में सदस्य मनोनीत किया गया है, के स्थान पर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग को सदस्य मनोनीत किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एल. सांकला, अवर सचिव.

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 16 सितम्बर 2016

क्रमांक एफ-18-115/2016/25-2.—अनुसूचित जाति उपयोजना के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार नीति आयोग (सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण अनुभाग) के पत्र दिनांक 20-04-2015 के द्वारा जारी मार्ग-दर्शिका कंडिका 3.5 के अधीन विभागीय समसंख्यक पत्र क्रमांक 7123-7124 दिनांक 03 सितंबर 2015 के द्वारा राज्य स्तरीय अनुसूचित जाति विकास परिषद का गठन किया गया है.

राज्य शासन एतद्द्वारा निर्णय लिया गया कि मार्गदर्शिका कंडिका 8.5 के अधीन अनुसूचित जाति उपयोजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति के कर्त्तव्यों का संपादन भी राज्य स्तरीय अनुसूचित जाति विकास परिषद के द्वारा किया जावेगा.

नया रायपुर, दिनांक 16 सितम्बर 2016

क्रमांक एफ-18-115/2016/25-2.—विभागीय समसंख्यक पत्र क्रमांक 7123-7124 दिनांक 03 सितंबर 2015 के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय अनुसूचित जाति विकास परिषद का गठन किया गया है.

2. राज्य शासन एतद्द्वारा उक्त आदेश के सरल क्रमांक-3 एवं सरल क्रमांक-4 में निम्नांकित सदस्यों को मनोनीत करता है :—

पूर्व आदेश का सरल क्रमांक		मनोनीत सदस्य का नाम
3	1.	श्रीमती कमला देवी पाटले, मान. सांसद, जांजगीर चांपा
4	2.	श्री रामलाल चौहान, मान. विधायक, सरायपाली
	3.	श्री नवीन मारकण्डेय, मान. विधायक, आरंग
	4.	श्रीमती सरोजनी बंजारे, मान. विधायक, डोंगरगढ़

नया रायपुर, दिनांक 24 अक्टूबर 2016

क्रमांक/एफ-19-02/2012/25-2.—विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 25-03-2015 द्वारा हज समिति अधिनियम 2002 की धारा 17 सहपठित धारा 18 एवं छत्तीसगढ़ राज्य हज समिति नियम 2002 के नियम 4 सहपठित नियम 5 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अध्याधीन छत्तीसगढ़ राज्य हज समिति का गठन किया गया है.

2. राज्य शासन एतद्द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25-03-2015 में मनोनीत माननीय सदस्यों के नामों में निम्नानुसार आंशिक संशोधन करता है :—

अधिसूचना में दर्शित क्रमांक (1)	अधिसूचना में अंकित नाम (2)	संशोधित नाम (3)
02.	श्रीमती हमीदा नाजो, सिद्दीकी, पार्षद वार्ड क्रमांक 23 कवर्धा.	श्रीमती नाजो सिद्दीकी, पार्षद वार्ड क्रमांक 23 कवर्धा.
04.	श्री बब्बू भाई, पार्षद, वार्ड क्रमांक 30 भिलाई जिला-दुर्ग	श्री अकबर अली उपनाम बब्बू भाई पार्षद, वार्ड क्रमांक 30 भिलाई जिला-दुर्ग.
10.	श्रीमती ताहीरा जी, अल्पसंख्यक विकास समिति अध्यक्ष, राजनांदगांव.	श्रीमती ताहिरा बानो अली अल्पसंख्यक विकास समिति अध्यक्ष, राजनांदगांव.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. कुंजाम, संयुक्त सचिव.

कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2016

क्रमांक 14243/एफ-8/89/PMFBY/2016/14-2.—विभाग की अधिसूचना क्र./9283/एफ-08/89/PMFBY/2016/14-2 दिनांक 13-05-2016 के बिन्दु क्रमांक-13 (ख) के प्रावधान अंतर्गत संचालक कृषि छ.ग. द्वारा जिला महासमुन्द के तह.-पिथौरा के 12 एवं तह.-बसना के 6 ग्राम पंचायतों में औसत से कम वर्षा की स्थिति में धान असिंचित फसल की अनुमानित उत्पादकता निर्धारित थ्रेसहोल्ड उपज से 50% से कम आना संभावित मानते हुए दावा की प्रतिपूर्ति हेतु प्रस्तावित की गई है.

राज्य शासन एतद्द्वारा उक्त प्रावधान के तहत पिथौरा एवं बसना तहसील के अधिसूचित बीमा इकाई (ग्राम पंचायत) जिनका विवरण क्रमशः परिशिष्ट-1 पर है, को मध्यावधि क्षतिपूर्ति हेतु पात्र क्षेत्र घोषित करती है. इन क्षेत्रों के ऐसे समस्त ऋणी एवं अऋणी कृषकों जिन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2016 में धान असिंचित फसल हेतु निर्धारित प्रीमियम अदा कर बीमा आवरण प्राप्त किया है, योजनान्तर्गत निम्न शर्तों के आधार पर निर्धारित की जाने वाली अंतरिम क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकेंगे—

(1) इस विभाग के आदेश क्र./11890/एफ-08/89/PMFBY/2016-17/14-2 दिनांक 06-08-2016 एवं समसंख्यक आदेश क्रमांक 11892 दिनांक 06-08-2016 द्वारा गठित जिला/तहसील स्तरीय संयुक्त समिति द्वारा योजना प्रावधानों के अनुरूप उक्त क्षेत्र में संभावित क्षति का मूल्यांकन करेगी.

(2) उक्त समिति द्वारा प्रस्तुत अनुमानित उपज, निर्धारित थ्रेसहोल्ड उपज से 50% से कम आना संभावित होने की स्थिति में संभावित क्षतिपूर्ति का 25% तक दावा भुगतान फसल मौसम के दौरान देय होगा. यह क्षतिपूर्ति राशि अधिसूचित क्षेत्रों में योजनान्तर्गत किये जाने वाले फसल कटाई प्रयोगों से प्राप्त औसत उपज के आधार पर निर्धारित अंतिम दावा राशि में समायोजित की जायेगी.

(3) यदि फसल कटाई प्रयोगों से प्राप्त औसत उपज के आधार पर निर्धारित अंतिम दावा राशि से अधिक राशि का भुगतान उक्त अधिसूचित क्षेत्रों के कृषकों को इस प्रावधान के अंतर्गत किया जाना पाया जाता है तो ऐसी समस्त राशि कृषक द्वारा वापस की जानी होगी.

(4) संयुक्त समिति द्वारा मध्यावधि क्षतिपूर्ति हेतु दावा राशि का प्रस्ताव संचालनालय कृषि, छ.ग. को इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से 07 दिवस के भीतर अनिवार्यत: प्रस्तुत किया जायेगा. उक्त प्रस्ताव पर संचालक कृषि के अनुशंसा उपरांत क्रियान्वयक बीमा कंपनी द्वारा मध्यावधि क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किया जायेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. पैकरा, संयुक्त सचिव.

परिशिष्ट–1

जिला–महासमुन्द, तह. पिथौरा, रा.नि.मं.–पिथौरा

क्र.	ग्राम पंचायत	फसल
1.	भिथिडीह	धान असिंचित
2.	सरकड़ा	धान असिंचित
3.	भुरकोनी	धान असिंचित
4.	सोहागपुर	धान असिंचित
5.	नवागांव	धान असिंचित
6.	कोदोपाली	धान असिंचित
7.	कोल्दा	धान असिंचित
8.	चरौदा	धान असिंचित
9.	लिलेसर	धान असिंचित
10.	अठारहगुड़ी	धान असिंचित
11.	नवागांव खुर्द	धान असिंचित
12.	बिराजपाली	धान असिंचित

जिला–महासमुन्द, तह. बसना, रा.नि.मं.–बसना

क्र.	ग्राम पंचायत	फसल
1.	पलसापाली (अ)	धान असिंचित
2.	अंकोरी	धान असिंचित
3.	ठाकुरपाली	धान असिंचित
4.	कायतपाली	धान असिंचित
5.	देवरी	धान असिंचित
6.	साल्हेझरिया	धान असिंचित

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 8 सितम्बर 2016

क्रमांक एफ 20-17/2016/ग्यारह/छै:.—छत्तीसगढ़ बंद/बीमार उद्योगों हेतु विशेष प्रोत्साहन नीति 2016 के क्रियान्वयन हेतु राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ बंद/बीमार उद्योगों हेतु विशेष प्रोत्साहन नियम 2016 दिनांक 24 जून 2016 से निम्नानुसार लागू करता है :—

1. **प्रस्तावना :—** स्वस्थ्य औद्योगिक वातावरण लिए यह भी आवश्यक है कि नए उद्योगों की स्थापना के साथ-साथ बंद/बीमार उद्योगों को पुन: प्रारंभ करवाया जावे/बीमार अवस्था से बाहर लाया जावे, ताकि रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी के साथ-साथ राज्य शासन की राजस्व प्राप्तियों में भी वृद्धि हों. बंद उद्योगों को पुन: प्रारंभ करने/बीमार अवस्था से बाहर लाने हेतु वित्तीय संस्थाओं/बैंकों द्वारा संबंधित उद्योगों में अतिरिक्त वित्तीय निवेश के साथ-साथ राज्य शासन के औद्योगिक प्रोत्साहन की भी आवश्यकता होती है.

2. **उद्देश्य :—**

    1. बंद/बीमार पड़े उद्योगों को पुनर्संचालित/पुनर्वासित कराना, ताकि बंद/बीमार पड़े उद्योगों में उत्पादन प्रारंभ होने के पश्चात्/क्षमता के अनुरूप उत्पादन होने के पश्चात् रोजगार के नये अवसर सृजित हो/रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो.

    2. बंद पड़े उद्योगों में अवरूद्ध भूमि का औद्योगिक उपयोग प्रारंभ कराना.

    3. पुनर्वास योग्य बीमार एवं बंद पड़े उद्योगों को पुनर्संचालित/पुनर्वासित कराने में उद्यमियों को/वित्तीय संस्थाओं/बैंकों को सहयोग प्रदान करना.

    4. पुनर्वास योग्य बीमार/बंद उद्योगों की अवरूद्ध पूंजी को गतिशील बनाना ताकि परिणाम स्वरूप उद्योग प्रारंभ होने के पश्चात् राज्य शासन के राजस्व जैसे :— वेटकर, प्रवेश कर, एक्साइज ड्यूटी, मंडी शुल्क, विद्युत चार्जेस, विद्युत शुल्क, रॉयल्टी, जल चार्जेस एवं उपकरों में वृद्धि हो.

    5. बीमार/बंद पड़े उद्योगों के संभावित क्रेताओं को प्रोत्साहित कर बंद/बीमार उद्योगों के क्रय एवं पुनर्संचालन हेतु प्रोत्साहित करना.

    6. समय पर एवं उपयुक्त सहायता देकर उद्योगों को बीमार होने से बचाना.

    7. वित्तीय संस्थाओं/बैंकों में बंधक बंद/बीमार उद्योगों की परिसम्पत्तियां जिसमें राज्य शासन की भूमि भी सम्मिलित है, का औद्योगिक उपयोग संभव करना.

    8. औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि की बढ़ती हुई मांग व सीमित आपूर्ति को दृष्टिगत रखते हुए बंद उद्योगों की भूमि का उपयोग औद्योगिक प्रयोजनों हेतु करना.

    9. भारत सरकार द्वारा पुनर्वास योग्य बीमार औद्योगिक इकाईयों के पुन:स्थापन एवं गैर पुनर्वास योग्य बीमार इकाईयों के समापन हेतु "सिक इण्डस्ट्रियल कंपनीज स्पेशल प्रोविजन्स एक्ट 1985" के अंतर्गत "बी.आई.एफ.आर." नामक वैधानिक संस्था स्थापित है, किन्तु सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्षेत्र इनकी परिधि में नहीं आता है, अत: सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को बीमार होने से बचाना तथा बंद सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को पुन: प्रारंभ करने के लिये व्यवस्था निर्मित करना.

3. **शीर्षक :—** यह नियम "छत्तीसगढ़ बंद/बीमार उद्योगों हेतु विशेष प्रोत्साहन नियम, 2016" कहा जाएगा.

4. **क्रियान्वयन अवधि :—** यह नियम "छत्तीसगढ़ बंद/बीमार उद्योगों हेतु विशेष प्रोत्साहन नीति, 2016" के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक 24 जून 2016 से 31 अक्टूबर 2019 तक की कालावधि के लिए प्रभावशील होगा.

5. **परिभाषाएं :—** इस नियम के क्रियान्वयन हेतु "छत्तीसगढ़ बंद/बीमार उद्योगों हेतु विशेष प्रोत्साहन नीति, 2016" में वर्णित परिभाषाएं लागू होगी.

6. **मान्य गतिविधियां :—** इस नियम के अंतर्गत निम्नांकित गतिविधियां पात्र होगी :—

(1) औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) में संदर्भित बीमार/बंद उद्योगों का क्रय.

(2) शासकीय परिसमापक (Official Liquidator) के माध्यम से बंद उद्योगों का क्रय.

(3) सिक्युरिटाइजेशन एण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनेन्सियल असेट्स एण्ड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्ट्रेस्ट एक्ट 2002 के अंतर्गत किसी वित्तीय संस्था/बैंक द्वारा अधिग्रहित उद्योगों का क्रय.

(4) राज्य शासन के उपक्रमों द्वारा अधिग्रहित उद्योगों का क्रय.

(5) निजी निवेशकों द्वारा किसी बंद/बीमार पड़े उद्योगों का क्रय.

(6) उद्योग स्वामी द्वारा अपने बंद/बीमार उद्योग के पुनर्वास/पुनर्जीवन.

(7) उद्योग एवं प्लांट एवं मशीनरी में न्यूनतम पांच लाख रुपये का पूंजी निवेश हो.

7. **पात्र आवेदनकर्ता :—** इस नियम के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति/साझेदारी फर्म/कंपनी/सहकारी समिति/सीमित दायित्व साझेदारी/औद्योगिक इकाई उपरोक्त बिन्दु-6 अनुसार मान्य गतिविधियों के बंद/बीमार इकाईयों को पुनः प्रारंभ करने/पुनर्संचालन करने इस नीति का लाभ लेने के लिए आवेदन करने हेतु पात्र है.

8. **अपात्र उद्योग :—** इस नियम के अंतर्गत निम्नांकित आवेदकों/उद्योगों को अपात्र माना जावेगा :—

(1) भारत सरकार/राज्य शासन/राज्य शासन की किसी एजेंसी द्वारा किसी क्षेत्र विशेष हेतु निषेधित उद्योग.

(2) भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा घोषित निषेधित उद्योग.

(3) भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा काली सूची में डाले गये उद्योग.

(4) भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा स्थापित उपक्रम.

(5) पान मसाला, गुटखा, सुपारी एवं तंबाखू आधारित उद्योग.

(6) एल्कोहल, डिस्टलरी एवं एल्कोहल पर आधारित बेवरेजेस.

(7) फटाका, माचिस एवं आतिशबाजी से संबंधित उद्योग.

(8) स्टोन क्रेशर.

(9) लेदर टैनरी.

(10) स्लाटर हाउस (बूचड़ खाना).

(11) कोल एवं कोक ब्रिकेट, कोल स्क्रीनिंग (कोल वाशरी को छोड़कर).

(12) समस्त खनिज पदार्थों की क्रशिंग/ग्राईडिंग/पलवराइजिंग.

(13) अन्य उद्योग जो राज्य शासन द्वारा समय-समय पर निषेधित घोषित किये जाएं.

9. **प्रक्रिया :—**

(1) इस नीति के अन्तर्गत उपरोक्त सरल क्र. 6 अनुसार मान्य गतिविधियों में पात्र आवेदनकर्ता द्वारा किसी भी बंद उद्योग/बीमार उद्योग को पुनर्संचालित करने/पुनर्वास हेतु परिशिष्ट एक पर संलग्न निर्धारित प्रारूप में आवेदन संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में प्रस्तुत करना होगा. पूर्णरूपेण आवेदन प्राप्त होने पर परिशिष्ट-2 अनुसार अभिस्वीकृति जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा दी जायेगी.

(2) आवेदन के साथ-साथ बंद/बीमार उद्योग को पुनर्संचालन/पुनर्वास हेतु विस्तृत योजना प्रस्तुत करनी होगी, जिसमें उद्योग के बीमार/बंद रहने की तथ्यात्मक स्थिति, उद्योग के बीमार/बंद होने के कारण, पुनर्संचालन हेतु किये जा रहे प्रयास, बैंक/वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण स्वीकृति, स्वयं का अंशदान, विगत वित्तीय वर्षों की अंकेक्षित बैलेंस शीट, बी.आई.एफ.आर./शासकीय समापक की टीप एवं उद्योग को पुनर्संचालित करने/पुन: प्रारंभ करने की अवधि भी होगी.

(3) आवेदक द्वारा प्रस्तुत पुनर्वास योजना का अनुमोदन अप्रैजल एजेंसी से करवाना होगा. अप्रैजल एजेन्सी अपने प्रतिवेदन में उद्योग के बंद/बीमार होने के कारणों की व्याख्या करते हुए अपने सुझाव देगी व अभिमत में यह स्पष्ट अनुशंसा करेगी कि उद्योग बीमार/बंद उद्योग की परिभाषा के तहत् आता है अथवा नहीं, इकाई व्यवहार्य बीमार इकाई है या नहीं तथा बीमार/बंद उद्योग का पुनर्संचालन/पुनर्वास संभव है अथवा नहीं. एजेंसी अपने सुझाव भी दे सकेगी.

(4) बीमार/बंद सूक्ष्म तथा लघु उद्योगों के पुनर्वास तथा पुनर्संचालन हेतु प्राप्त आवेदनों एवं आवेदनों की प्रस्तावित योजना, अप्रैजल एजेंसी की रिपोर्ट का परीक्षण मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा किया जावेगा तथा सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों से भिन्न आवेदनों का एवं आवेदनों की प्रस्तावित योजना व अप्रैजल एजेंसी की रिपोर्ट परीक्षण उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग द्वारा किया जावेगा.

(5) छत्तीसगढ़ बंद/बीमार उद्योगों हेतु विशेष प्रोत्साहन नीति 2016 के अनुसार परिभाषित बन्द उद्योग के तहत् बीआईएफआर के समस्त प्रकरण जिनमें पुनर्वास योजना स्वीकृत की जा चुकी हो/तैयार की जा चुकी हो, शासकीय समापक के माध्यम से उद्योगों का क्रय, सिक्युरिटाइजेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन आफ फायनेंसियल असेट्स एण्ड इन्फोर्समेन्ट आफ सिक्युरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 के तहत किसी वित्तीय संस्था/बैंक/वित्तीय संस्थाओं/बैंक द्वारा अधिकृत एजेन्सी से बंद उद्योग क्रय करने वाले उद्यमी, राज्य शासन के उपक्रम छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन द्वारा अधिग्रहण उपरांत उद्योगों का क्रय करने वाले उद्यमी भी सम्मिलित मान्य किये जावेंगे अर्थात् ऐसे प्रकरणों में "बंद उद्योग" की मान्यता/पहचान हेतु बिन्दु क्रमांक 9.6 में वर्णित समिति में विचार की आवश्यकता नहीं होगी एवं उन्हें बंद उद्योग मान्य किया जावेगा किन्तु इन बन्द उद्योगों को इस नियम के अंतर्गत देय पैकेज की पात्रता के लिए यह आवश्यक होगा कि उनके प्रकरणों में उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 9.1 से 9.4 तक की प्रक्रियाएं पूर्ण की जाए तथा पात्र प्रकरणों में बीमार/बंद उद्योग के पुनर्वास/पुनर्संचालन संभव पाए जाने पर उसका पंजीयन किया जावेगा. सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के प्रकरणों में मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों द्वारा एवं सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों से भिन्न प्रकरणों में संचालक/आयुक्त उद्योग द्वारा संबंधित उद्योग को बीमार/बंद घोषित किये जाने बाबत् आदेश परिशिष्ट-3 अनुसार जारी किये जायेंगे.

(6) बीमार/बंद उद्योगों के पुनर्वास/पुनर्सचालन हेतु प्राप्त आवेदनों के परीक्षण उपरान्त निम्नानुसार समितियों के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा :—

अ- जिला स्तरीय समिति (सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों हेतु) —

(1)	संबंधित जिले के कलेक्टर	अध्यक्ष
(2)	आयुक्त/संचालक उद्योग के प्रतिनिधि जो संयुक्त संचालक स्तर से कम न हो.	उपाध्यक्ष
(3)	संचालक, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संस्थान अथवा उनके प्रतिनिधि.	सदस्य
(4)	सहायक आयुक्त श्रम विभाग	सदस्य
(5)	अग्रणी बैंक के अधिकारी	सदस्य
(6)	उद्योग की वित्त पोषित संस्था/बैंक के शाखा प्रबंधक	सदस्य
(7)	उपायुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग	सदस्य
(8)	कार्यपालक अभियंता, छ.ग. राज्य विद्युत वितरण कम्पनी	सदस्य
(9)	संयुक्त संचालक, नगर एवं ग्रामीण निवेश विभाग	सदस्य
(10)	खनिज अधिकारी	सदस्य

(11)	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग	सदस्य
(12)	मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र	सदस्य सचिव

ब- राज्य स्तरीय समिति (सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों से भिन्न उद्योग-मध्यम, वृहद, मेगा एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट हेतु)—

(1)	मुख्य सचिव	अध्यक्ष
(2)	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त	उपाध्यक्ष
(3)	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वाणिज्यि एवं उद्योग विभाग	सदस्य
(4)	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, विधि एवं विधायी कार्य	सदस्य
(5)	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग	सदस्य
(6)	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, ऊर्जा विभाग	सदस्य
(7)	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग	सदस्य
(8)	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, खनिज संसाधन विभाग	सदस्य
(9)	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग.	सदस्य
(10)	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग	सदस्य
(11)	रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय प्रमुख	सदस्य
(12)	उप महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक जोनल कार्यालय	सदस्य
(13)	उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग, उद्योग संचालनालय, रायपुर	सदस्य सचिव

(7) जिला स्तरीय समिति सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के प्रकरणों में एवं राज्य स्तरीय समिति सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों से भिन्न उद्योगों के प्रकरणों में बंद/बीमार उद्योगों के संबंध में निर्णय लेगी.

उक्त समितियां यह निश्चित करेगी कि आवेदक उद्योग बीमार/बंद की श्रेणी में आता है अथवा नहीं तथा इसके पुनर्वास/पुनर्संचालन की क्या संभावना है. समितियां संबंधित उद्योग से/आवेदक से योजना का प्रस्तुतिकरण भी प्राप्त कर सकेगी, आवश्यक होने पर उद्योग विशेष से संबंधित तकनीकी कंसल्टेंट/सलाहकार, अप्रैजल एजेंसी से परामर्श भी प्राप्त कर सकेगी. समितियां किसी विशेषज्ञ को भी आमंत्रित कर सकेगी.

जिला स्तरीय समिति एवं राज्य स्तरीय पुनर्वास समिति का कोरम 50 प्रतिशत होगा, समितियों की बैठक तीन माह में एक बार अवश्य होगी.

जिला एवं राज्य स्तरीय समितियों द्वारा यदि यह निर्णय लिया जाता है कि बीमार/बंद उद्योग के पुनर्वास/पुनर्संचालन संभव है, तो उसका पंजीयन किया जावेगा एवं सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के प्रकरणों में मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों द्वारा एवं सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों से भिन्न प्रकरणों में संचालक/आयुक्त उद्योग द्वारा संबंधित उद्योग को बीमार/बंद घोषित किये जाने बाबत् आदेश परिशिष्ट-3 अनुसार जारी किये जायेंगे.

10. **बीमार/बंद उद्योगों के लिए पैकेज :—**

10.1 बीमार उद्योगों के पुनर्वास हेतु पैकेज :—

(1) किसी भी बीमार घोषित उद्योग का क्रय करने पर निम्नांकित छूट दी जावेगी :—

(i) स्टाम्प शुल्क से पूर्ण छूट

(ii) पंजीयन शुल्क से पूर्ण छूट

(iii) औद्योगिक क्षेत्रों/लैण्ड बैंक में उद्योग स्थापित होने की दशा में वर्तमान में प्रचलित भू-प्रब्याजि का 15 प्रतिशत के स्थान पर 5 प्रतिशत की दर से भू-हस्तांतरण शुल्क लिया जावेगा.

(2) औद्योगिक नीति 2014-19 के औद्योगिक निवेश हेतु आर्थिक प्रोत्साहनों की पात्रता को आधार मानकर बीमार उद्योग के स्वामी को या बीमार उद्योग के क्रेता को (यथा स्थिति जो लागू हो) निम्नानुसार पूर्णत:/शेष बची अनुदान, छूट एवं रियायत दी जावेगी, जिसका उपयोग बीमार उद्योग ने अपने उद्योग के संचालित रहने की अवधि में नहीं किया हो/आंशिक किया हो :—

2.1 ब्याज अनुदान

2.2 स्थायी पूंजी निवेश अनुदान
2.3 परियोजना प्रतिवेदन अनुदान
2.4 गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान
2.5 तकनीकी पेटेन्ट अनुदान
2.6 प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान
2.7 नि:शक्त अनुदान
2.8 विद्युत शुल्क से छूट
2.9 प्रवेशकर भुगतान से छूट
2.10 कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2012 के अंतर्गत मंडी शुल्क छूट

उदाहरणार्थ :—

(अ) यदि किसी उद्योग ने औद्योगिक नीति 2004-09 के अंतर्गत एक सामान्य उद्योग 01 नवम्बर 2005 को स्थापित किया है व दो वर्ष की अवधि हेतु निर्धारित 40 प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान प्राप्त किया है व औद्योगिक नीति 2014-19 की अवधि में बीमार उद्योग घोषित होता है, तो शेष तीन वर्ष की अवधि हेतु ब्याज अनुदान की पात्रता औद्योगिक नीति 2014-19 के अधीन निर्धारित दर पर व अधिकतम सीमा के अधीन होगी.

(ब) यदि कोई उद्योग औद्योगिक नीति 2004-09 के अधीन अनुदान, छूट एवं रियायतों हेतु अपात्र उद्योगों की श्रेणी में था एवं औद्योगिक नीति 2014-19 में पात्र है, तो पुन: उत्पादन प्रारंभ करने पर औद्योगिक नीति 2014-19 की शेष अवधि (उद्योग के प्रारंभ होने से बीमार घोषित होने तक की अवधि को पात्रता अवधि से कम करने के पश्चात् बची शेष अवधि) हेतु ब्याज अनुदान की पात्रता होगी.

(स) उद्योग स्थापना के पश्चात् दिये जाने वाले अन्य अनुदान (जैसे :- स्थायी पूंजी निवेश अनुदान, परियोजना प्रतिवेदन अनुदान, गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान, तकनीकी पेटेन्ट अनुदान, प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान, नि:शक्त अनुदान) यदि प्राप्त नहीं हुए हैं/आंशिक प्राप्त हुए हैं तो बीमार उद्योग के क्रेता को पूर्ण/शेष बची राशि की पात्रता होगी.

(द) उपरोक्तानुसार स्थिति उद्योग स्थापना के पश्चात् दिये जाने वाले छूट के प्रकरणों (विद्युत शुल्क से छूट, प्रवेशकर से छूट, मंडी शुल्क से छूट) में भी लागू होगी.

(3) बीमार घोषित उद्योग की भुगतान हेतु बकाया राशि को भुगतान करने हेतु 36 समान मासिक किश्तों/12 त्रैमासिक किश्तों में मूल राशि + संपूर्ण पेनाल्टी/ब्याज/अधिभार सहित भुगतान की सुविधा दी जावेगी, इस निर्धारित अवधि में भुगतान न होने पर भारतीय स्टेट बैंक द्वारा निर्धारित बेस रेट पर ब्याज का भुगतान करना होगा.

परन्तु, यह प्रावधान इस हेतु संबंधित विभागों के नियमों/अधिनियमों में संशोधन उपरांत अधिसूचना जारी होने पर पश्चातवर्ती प्रभाव से ही लागू होगा.

तथापि विद्युत देयकों के मामले में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा निर्धारित बेस रेट पर ब्याज का भुगतान के स्थान पर विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित सप्लाई कोड में दिये गये प्रावधानों के अनुरूप नियमानुसार अधिभार देय होगा.

(4) बीमार उद्योग के क्रेता के पक्ष में विद्युत कनेक्शन, जल कनेक्शन, कन्सेंट टू ऑपरेट, राज्य शासन द्वारा दिये जाने वाले फारेस्ट क्लीयरेंस, स्थानीय निकायों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र इत्यादि हस्तांतरित हो जावेंगे.

परन्तु इसके लिए संबंधित विभागों के नियमों/अधिनियमों में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही करना होगी.

टीप :—

(1) उपरोक्त पैकेज के लिए आवश्यक है कि सक्षम समिति को बीमार उद्योग घोषित करने हेतु आवेदन की

तिथि को आवेदक के उद्योग में प्लांट एवं मशीनरी में न्यूनतम 5.00 लाख रु. का पूंजी निवेश हो व फैक्टरी परिसर में मशीनरी स्थापित भी हो.

(2) किसी इकाई को बीमार उद्योगों के पुनर्वास का पैकेज केवल एक बार दिया जावेगा.

10.2 बंद उद्योगों के पुन: संचालन हेतु पैकेज :—

(1) किसी भी बंद घोषित उद्योग का क्रय करने पर निम्नांकित छूट दी जावेगी :—

(i) स्टाम्प शुल्क से पूर्ण छूट

(ii) पंजीयन शुल्क से पूर्ण छूट

(iii) औद्योगिक क्षेत्रों/लैण्ड बैंक में उद्योग स्थापित होने की दशा में वर्तमान में प्रचलित भू-प्रब्याजि का 15 प्रतिशत के स्थान पर 5 प्रतिशत की दर से भू-हस्तांतरण शुल्क लिया जावेगा.

(2) औद्योगिक नीति 2014-19 के औद्योगिक निवेश हेतु आर्थिक प्रोत्साहनों की पात्रता को आधार मानकर बंद उद्योग के स्वामी या क्रेता को (यथा स्थिति जो लागू हो) निम्नानुसार पूर्णत:/शेष बची अनुदान, छूट एवं रियायत दी जावेगी, जिसका उपयोग बंद उद्योग ने अपने उद्योग के संचालित रहने की अवधि में नहीं किया हो/आंशिक किया हो :—

2.1 ब्याज अनुदान

2.2 स्थायी पूंजी निवेश अनुदान

2.3 परियोजना प्रतिवेदन अनुदान

2.4 गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान

2.5 तकनीकी पेटेन्ट अनुदान

2.6 प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान

2.7 नि:शक्त अनुदान

2.8 विद्युत शुल्क से छूट

2.9 प्रवेशकर भुगतान से छूट

2.10 कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2012 के अंतर्गत मंडी शुल्क छूट

उदाहरणार्थ :—

(अ) यदि किसी उद्योग ने औद्योगिक नीति 2004-09 के अंतर्गत एक सामान्य उद्योग 01 नवम्बर 2005 को स्थापित किया है व दो वर्ष की अवधि हेतु निर्धारित 40 प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान प्राप्त किया है व औद्योगिक नीति 2014-19 की अवधि में बंद उद्योग घोषित होता है, तो शेष तीन वर्ष की अवधि हेतु ब्याज अनुदान की पात्रता औद्योगिक नीति 2014-19 के अधीन निर्धारित दर पर व अधिकतम सीमा के अधीन होगी.

(ब) यदि कोई उद्योग औद्योगिक नीति 2004-09 के अधीन अनुदान, छूट एवं रियायतों हेतु अपात्र उद्योगों की श्रेणी में था एवं औद्योगिक नीति 2014-19 में पात्र है, तो पुन: उत्पादन प्रारंभ करने पर औद्योगिक नीति 2014-19 की शेष अवधि (उद्योग के प्रारंभ होने से बंद घोषित होने तक की अवधि को पात्रता अवधि से कम करने के पश्चात् बची शेष अवधि) हेतु ब्याज अनुदान की पात्रता होगी.

(स) उद्योग स्थापना के पश्चात् दिये जाने वाले अन्य अनुदान (जैसे :- स्थायी पूंजी निवेश अनुदान, परियोजना प्रतिवेदन अनुदान, गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान, तकनीकी पेटेन्ट अनुदान, प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान, नि:शक्त अनुदान) यदि प्राप्त नहीं हुए हैं/आंशिक प्राप्त हुए हैं तो बंद उद्योग के क्रेता को पूर्ण/शेष बची राशि की पात्रता होगी.

(द) उपरोक्तानुसार स्थिति उद्योग स्थापना के पश्चात् दिये जाने वाले छूट के प्रकरणों (विद्युत शुल्क से छूट, प्रवेशकर से छूट, मंडी शुल्क से छूट) में भी लागू होगी.

(3) किसी भी उद्योग को बंद घोषित करने के दिनांक तक भुगतान हेतु बकाया राशि की परिभाषा के अंतर्गत निहित विभागों/निकायों (ऊर्जा विभाग, राजस्व विभाग, वाणिज्यिक कर विभाग उद्योग विभाग, जल संसाधन विभाग, खनिज संसाधन विभाग, स्थानीय प्रशासन विभाग एवं श्रम कानूनों के अंतर्गत गठित राज्य शासन के निकाय) को देय राशियों का भुगतान तीन माह की अवधि के भीतर एकमुश्त करने पर संपूर्ण पेनाल्टी/ब्याज/अधिभार पूर्णता माफ किया जावेगा.

परन्तु, यह प्रावधान संबंधित विभाग द्वारा नियमानुसार जारी अधिसूचना की तिथि से पश्चात्वर्ती प्रभाव से ही लागू होगा.

(4) उपरोक्त (3) के तहत् यदि एकमुश्त राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो 36 समान मासिक किश्तों/12 त्रैमासिक किश्तों में मूल राशि + संपूर्ण पेनाल्टी/ब्याज/अधिभार सहित भुगतान की सुविधा दी जावेगी, इस निर्धारित अवधि में भुगतान न होने पर भारतीय स्टेट बैंक द्वारा निर्धारित बेस रेट पर ब्याज का भुगतान करना होगा.

परन्तु, यह प्रावधान इस हेतु संबंधित विभागों के नियमों/अधिनियमों में संशोधन उपरांत अधिसूचना जारी होने पर पश्चात्वर्ती प्रभाव से ही लागू होगा.

तथापि विद्युत देयकों के मामले में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा निर्धारित बेस रेट पर ब्याज का भुगतान के स्थान पर विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित सप्लाई कोड में दिये गये प्रावधानों के अनुरूप नियमानुसार अधिभार देय होगा.

(5) बंद उद्योग में प्लांट एवं मशीनरी में न्यूनतम 3.00 करोड़ रु. या उत्पादनरत विद्यमान उद्योग में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की दिनांक तक प्लांट एवं मशीनरी मद में मान्य निवेशित पूंजी के न्युनतम 25%, जो भी अधिक हो, का अतिरिक्त पूंजी निवेश करने पर तथा उद्योग विभाग में पंजीकृत मूल क्षमता या औसत उत्पादन जो भी अधिक हो, में न्यूनतम 25% की वृद्धि होती हो एवं कुल रोजगार में भी 10:, की वृद्धि हो तथा विस्तारित वाणिज्यिक उत्पादन इस नीति की कालावधि में प्रारंभ हो, तो किये गये अतिरिक्त पूंजी निवेश पर औद्योगिक नीति 2014-19 में घोषित अनुदान, छूट एवं रियायतें प्राप्त होगी (विस्तार/डायवर्सीफिकेशन आदि पर) किन्तु इसकी अधिकतम सीमा बंद उद्योग को देय शेष अनुदान एवं इस अतिरिक्त पूंजी निवेश पर देय अनुदान की अधिकतम सीमा औद्योगिक नीति 2014-19 में घोषित अनुदान की सीमा से अधिक नहीं होगी.

(6) नये उद्योग को जल उपलब्धता की स्थिति में पुनः जल स्वीकृति देते समय कोई अतिरिक्त चार्जेस/सुरक्षा निधि नहीं ली जावेगी.

(7) बंद उद्योग के क्रेता के पक्ष में विद्युत कनेक्शन, जल कनेक्शन, कन्सेंट टू ऑपरेट, राज्य शासन द्वारा दिये जाने वाले फारेस्ट क्लीयरेंस, स्थानीय निकायों और जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र इत्यादि हस्तांतरित हो जावेंगे.

परंतु यह प्रावधान संबंधित विभाग द्वारा नियमानुसार जारी अधिसूचना की तिथि से पश्चात्वर्ती प्रभाव से ही लागू होगा.

टीप :—

(1) उपरोक्त पैकेज के लिए आवश्यक है कि उद्योग को बंद उद्योग घोषित करने हेतु आवेदन की तिथि को आवेदक के उद्योग में प्लांट एवं मशीनरी में न्यूनतम 5.00 लाख रु. का पूंजी निवेश हो व फैक्टरी परिसर में मशीनरी स्थापित भी हो.

(2) किसी इकाई को बंद उद्योगों के पुनः संचालन हेतु पैकेज केवल एक बार दिया जावेगा.

11. **वित्त पोषण :—** भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बीमार/बंद लघु औद्योगिक इकाईयों के पुनर्स्थापन/पुनर्वास के संबंध में बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से समय-समय पर उपलब्ध कराई जाने वाले वित्त पोषण/सुविधाओं को पुनर्वास योग्य लघु औद्योगिक इकाईयों को दिलाने हेतु सहयोग किया जावेगा.

12. **पैकेज की वसूली :—**

1. पैकेज का लाभ औद्योगिक इकाई को स्वीकृत/प्राप्त हो जाने के पश्चात् भी यदि यह पाया जाता है कि औद्योगिक इकाई/बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा कोई तथ्य छुपाये गए हैं, तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है या सही जानकारी प्रस्तुत नहीं की गयी है व इस प्रकार गलत तरीके से पैकेज प्राप्त किया गया है तो पैकेज का संपूर्ण लाभ मय 12 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से वसूल किया जा सकेगा.

2. उपरोक्तानुसार वसूली राशि भू-राजस्व के बकाया की वसूली के सामान की जा सकेगी.

3. स्वीकृतकर्ता अधिकारी को यह अधिकार होगा कि पैकेज का स्वत्व स्वीकृत होने के पश्चात् भी नियमानुसार नहीं पाये जाने पर स्वीकृति आदेश निरस्त कर सकें एवं यदि पैकेज की राशि संबंधित वित्तीय संस्था/बैंक को भुगतान कर दी गई हो तो वसूली आदेश जारी कर सकें.

4. यह आवश्यक है कि संबंधित उद्योग में स्वीकृत पैकेज की अवधि तक अकुशल श्रमिकों में न्यूनतम 90 प्रतिशत, कुशल श्रमिकों में न्यूनतम 50 प्रतिशत तथा प्रशासकीय/प्रबंधकीय पदों पर न्यूनतम 33 प्रतिशत रोजगार राज्य के मूल निवासियों को प्रदाय किया गया हो. औद्योगिक इकाई द्वारा राज्य के मूल निवासियों को निर्धारित प्रतिशत में रोजगार उपलब्ध कराने के पश्चात् यदि बाद में स्वत्वों की अवधि के दौरान रोजगार से वंचित किया जाता है व इस कारण अकुशल, कुशल व प्रबंधकीय वर्ग में दिये जाने वाले रोजगार का प्रतिशत उपरोक्तानुसार उल्लेखित प्रतिशत से कम हो जाता है तो ऐसी अवधि में पैकेज की पात्रता नहीं रहेगी.

5. उद्योग संचालनालय/जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा योजना से संबंधित या कोई जानकारी/अभिलेख मांगे जाने पर औद्योगिक इकाई द्वारा न दी जाये.

6. यदि औद्योगिक इकाई को पात्रता से अधिक पैकेज की प्राप्ति हो गयी हो.

7. उपर्युक्त बिन्दुओं के अनुसार यथास्थिति निरस्तीकरण/अधिक दिये गये पैकेज की राशि की वसूली के आदेश स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा जारी किये जाएंगे.

13. **अपील/वाद :—**

1. उक्त कंडिका 9.5 के अनुसार समिति के समक्ष प्रस्तुत किये बिना मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा जारी किसी आदेश के विरुद्ध 60 दिवस में प्रथम अपील उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग, उद्योग संचालनालय को की जा सकेगी. उद्योग आयुक्त/संचालक के आदेश के विरुद्ध 60 दिवस में प्रथम अपील सचिव वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को की जा सकेगी.

2. उक्त कंडिका 13.1 अनुसार अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील अर्थात् द्वितीय अपील (मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा पारित मूल आदेशों के संबंध में) सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को की जा सकेगी तथा उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग के मूल आदेशों के विरुद्ध 30 दिवस में द्वितीय अपील सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को की जा सकेगी.

3. उक्त कंडिका 9.6 के अनुसार जिला स्तरीय समिति द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध राज्य स्तरीय समिति को 60 दिवस में अपील की जा सकेगी.

4. सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के प्रकरणों में अपील शुल्क रुपये 5000 एवं सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों से भिन्न प्रकरणों में रुपये 10000 का भुगतान करने पर ही अपील स्वीकार होगी. अपील शुल्क का भुगतान प्रथम अपील करने पर ही करना होगा द्वितीय अपील पर कोई शुल्क देय नहीं होगा. अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रकरणों में कोई अपील शुल्क देय नहीं होगा.

5. अपील शुल्क का भुगतान विविध प्राप्तियों के तहत स्वीकार करते हुए चालान के द्वारा स्वत्व निरस्तीकरण अधिकारी/प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में प्राप्त किया जावेगा/जमा किया जावेगा.

6. अपीलीय अधिकारी को अपील करने में हुए विलंब तथा अनुदान हेतु आवेदन प्रस्तुत करने में हुये विलंब एवं अधिसूचना के

अधीन किसी अन्य बिन्दु पर प्रकरण के गुण-दोष के आधार पर विचार कर निर्णय लेने का अधिकार होगा. अपीलीय अधिकारी द्वारा तथ्यों के आधार पर तथा अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने का एक अवसर प्रदान करते हुये अपील प्रकरण का निराकरण किया जावेगा.

14. **पैकेज प्राप्त औद्योगिक इकाई का दायित्व :—**

1. बंद/बीमार घोषित उद्योग का दायित्व होगा कि पैकेज की प्राप्ति उपरांत 05 वर्ष की अवधि तक चार्टर्ड एकाउंटेन्ट से अंकेक्षित लेखे व बैलेंस शीट उद्योग संचालनालय/जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को उपलब्ध कराएं. बंद/बीमार उद्योग को प्रतिवर्ष उत्पादन, लाभ, राज्य शासन को देय करो का भुगतान, व रोजगार से संबंधित जानकारी भी प्रदान करनी होगी.

2. बंद/बीमार घोषित पैकेज अवधि के दौरान संबंधित उद्योग द्वारा न तो लाभांश की घोषणा की जावेगी तथा न ही लाभांश का भुगतान किया जावेगा.

3. बंद/बीमार उद्योग द्वारा राज्य शासन की स्थानीय रोजगार देने की नीति (राज्य के स्थानीय निवासियों को अकुशल श्रेणी में 90 प्रतिशत, कुशल श्रेणी में 50 प्रतिशत व प्रबंधकीय श्रेणी में 33 प्रतिशत रोजगार प्रदान करने की शर्त) का पालन करना होगा.

4. बंद/बीमार उद्योग का संचालन प्रभावी ढंग से करना होगा.

5. बंद/बीमार उद्योग को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा निर्धारित समस्त प्रदूषण निवारण यंत्रों की स्थापना करनी होगी, इनका सतत् संचालन करना होगा तथा प्रदूषण निवारण के निर्धारित मापदण्डों का पालन करना होगा.

6. औद्योगिक इकाई को पैकेज की पात्रता अवधि में तथा पात्रता अवधि समाप्त होने के पश्चात् समाप्त होने के न्यूनतम पांच वर्षों तक उद्योग चालू रखना होगा.

7. पैकेज की पात्रता अवधि तथा पात्रता अवधि समाप्त होने के पांच वर्ष तक उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग की लिखित पूर्वानुमति के बिना इकाई के फैक्ट्री स्थल में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा, फैक्ट्री का कोई भाग अन्यत्र स्थानांतरित नहीं किया जा सकेगा तथा न ही स्वामित्व परिवर्तन किया जा सकेगा तथा फैक्ट्री के अधोसंरचना तथा स्थायी परिसम्पत्तियों में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा. उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग को प्रकरण के गुण-दोष के आधार पर इन बिन्दुओं पर निर्णय लेने का अधिकार होगा.

15. **स्वप्रेरणा से निर्णय :—** राज्य शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, प्रमुख सचिव/सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग किसी भी अभिलेख को बुला सकेंगे तथा ऐसे आदेश पारित कर सकेंगे जैसा कि वे नियमानुसार समझें परन्तु पैकेज को निरस्त करने, या उसमें परिवर्तन के पूर्व प्रभावित पक्ष को सुनवाई का एक अवसर अवश्य दिया जावेगा. स्वयं के निर्णय की समीक्षा भी राज्य शासन, प्रमुख सचिव/सचिव, उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग कर सकेंगे.

16. इस योजना के अन्तर्गत कार्यकारी निर्देश जारी करने हेतु उद्योग आयुक्त/उद्योग संचालक सक्षम होंगे एवं पैकेज से संबंधित किसी मुद्दे पर जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों द्वारा मार्गदर्शन मांगे जाने पर उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग द्वारा मार्गदर्शन दिया जावेगा.

17. नियमों की व्याख्या, अनुदान की पात्रता या अन्य विवाद की दशा में राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा.

18. इस योजना के अन्तर्गत कोई वाद होने पर राज्य के न्यायालय में ही वाद दायर किया जा सकेगा.

19. **योजना का क्रियान्वयन :—** योजना का क्रियान्वयन उद्योग संचालनालय व उनके अधीनस्थ जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों द्वारा किया जावेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. छबलानी, विशेष सचिव

परिशिष्ट–1

Application Format for Registration as Sick/Closed Unit

(छत्तीसगढ़ बंद/बीमार उद्योगों हेतु विशेष प्रोत्साहन नियम, 2016 का बिन्दु क्रमांक 9.1)

1	(i)	Name of the unit	
	(ii)	Address of the factory	
	(iii)	Address for the Correspondence	
	(iv)	Name of the promoter/Chief Executive	
		Address	
		Phone No.	(O) (R) (M)
		Fax No.	
		Email	
		Aadhar No. of Promoter/Chief Executive	
		PAN No./TAN No./CIN No. of Unit	
	(v)	If unit is purchased , pl give details and attach relevant documents	
2	(i)	Date of establishment(Relevant Certificate to be attached)	
	(ii)	EM No./Udyog Adhar No./Udyam Akansha No./Industrial License No. (As applicable , Certificate to be attached)	
	(iii)	Date of commercial production(Certificate/s to be attached)	
	(iv)	Whether unit is in production at present or not ?	Yes/No
3	If case pertains to BIFR/SURFACI , pl mention details .		
4	Name of Partners / Directors:		
	(i)		
	(ii)		
	(iii)		
	(iv)		
5	Products manufactured and its annual capacity (Pl. mention - no. of shifts)		
	(i)		
	(ii)		
	(iii)		
	(iv)		
6	Do you fulfill conditions of sick/ closed unit as unit as defined in policy/notification . (Please submit C.A. certificate in support of claim for sick/closed unit .)		
	(a)	Whether the maximum borrowing loan account of the unit become NPA for more than six months (Give details along with all borrowing accounts with date/amount of NPA)	Yes/No
	(b)	Whether the erosion in the net worth due to accumulated cash losses to the extent of 50 percent of net worth during the previous accounting year has been recorded.	Yes/No Give details
	(c)	Whether the unit was in production for minimum two year? If yes, please indicate years during which production	

		continued				
	(d)	If unit is closed , whether unit is closed continuously, since last 18 months /Power supply disconnected/Central Excise Tax is NIL (attach relevant documents)				
	(e)	Submit two years audited balance sheets along with details of power consumption (month wise) of the unit during which remained in production.				
7	Balance Sheet : As on ....(to be certified by Statutory Auditors of Company)					
	Sources of Funds :					
	(i)	Paid-up capital				
	(ii)	Reserve & Surplus				
	(iii)	Term Loan				
	(iv)	Deposits				
	(v)	Any other loan / unsecured loan / secured loan				
	Total					
	Application of funds :					
	(i)	Net Block				
	(ii)	Capital work in progress				
	(iii)	Current assets:				
		(a)	Inventories			
		(b)	Sundry debtors			
		(c)	Other current assets			
		(d)	Loan & advance			
		Sub total (A)				
		Less				
		a)	Liabilities			
		b)	Provisions			
		Sub total (B)		(vi)		
	(iv)	Net current assets (A-B)				
	(v)	Investment if any (To be mentioned separately in- companies , fixed deposits ,others)				
	(vi)	Loss				
		Net worth (during last three financial years, year wise)		(Year) (.........)	(Year) (.........)	(Year) (.........)
8	Please furnish following details certified by Statutory Auditors of Company					
				Year	Year	Year
	(i)	Paid-up capital				
	(ii)	Reserve & Surplus (excluding revaluation				

	(iii)	Total				
	(iv)	Percentage of the cumulative loss of net worth last three years.				
	Performance of unit for last three years					
	(i)	Sales	Quantity (MT /Nos.)			
			Value (Rs. Lacks)			
	(ii)	Gross Profit/Loss				
	(iii)	Net Profit/loss (after depreciation & tax)				
	(iv)	Net Profit/loss (after depreciation & tax)				
	(v)	enclose: Annual report/Audited Balance Sheets for last 3 years				
9	(i)	If unit is registered with BIFR, please indicate.				
	(ii)	Whether operating agency has been decided by Hon. BIFR, give detail.				
	(iii)	Draft rehabilitation scheme is Prepared and circulated by operating agency. If Yes, submit copy of the same.				
	(iv)	In case of Cases Techno Economic Viable Report from .... (Name of Appraisal Agency), have been prepared? Submit the copy of the same. If applied submit copy of application and copy of money receipt. If not approached, submit your consent for the same.				
10	Whether any legal actions are initiated by Govt. Department /any creditor or applicant-promoter in Hon. Court/Tribunal/Facilitation Council if yes, pl. gives details.					
11	Details		Capacity			
	Month wise production during last one year along with copy of electricity bill					
	Whether unit holder is willing to pay the cost of study report to the Appraisal Agency					
	Promoters Share towards revival purpose should be indicated					
12	If the Unit is closed, please give the date of closure and reasons for close-down					
	(i)	Whether power is permanently disconnected (Mention date of disconnection)				
	(ii)	Whether Labours/Workers are retrenched, pl. give details				
	(iii)	Whether possession of Unit is with promoter, if not with whom it is?				
	(iv)	Details of out standing dues as on ------------ (please attached C.A. certificate)				

		Sr. No	Name of Govt. Department/ Corporation/ Bank/firm	Principal Amount	Interest	Panel Interest	Penalty	Other	Total
		1	Commercial Tax						
		2	Electricity Charges						
		3	Excise Duty						
		4	PF						
		5	ESI						
		6	Others (e.g. loans, creditors, suppliers incl. other SSI units etc.)						

	(v)	Separate consent on letter head supported by board resolution for making payment of principal amount (enclosed copy)	Principle amount Rs
13		How the unit will be revived?	
	(A)	Arrangement for required funds with detailed plan to restart or increase the production	
	(B)	Arrangement for required funds for liquidating dues under the Scheme/Other creditors	
	(C)	If it is proposed to induct new promoter(s) to revive the unit, please give profile of the new promoters (enclose: Audited Balance-Sheets for last 3 years)	
	(D)	In case of Induction of New Promoters , Pl indicate conditions for the same	
	(E)	Percentage of funds borrowed/proposed to be borrowed from market/FIs/Banks for arrangement of **capital** for purchase of unit .	Percentage of capital borrowed (pl mention in exact amount also) vis a vis own investment
	(F)	Percentage of funds borrowed/proposed to be borrowed from market/FIs/Banks for arrangement of **working capital** for operational needs of unit .	Percentage of borrowed working capital capital (pl mention in exact amount also) vis a vis own funds

14	Details of Proposed Expansion/Diversification/Modernisation as part of revival		
	S.No.	Activity	Details
	1	Whether Expansion/Diversification/Modernization	
	2	Name of Item	
	3	Project Cost	
	4	Means of Finance	
	5	Registration of Items , if any	
	6	Manufacturing Process	
	7	Detailed List of proposed machinery with value	
	8	Proposed increase in production and profitability	

15	Pl give details of stage-wise with timelines revival plan and its details on financing, Operation and Marketing
16	Proposed arrangements for Marketing of Product

17	Assistance / relief proposed from banks/financial Institutions / Govt Departments/firms (Submit relevant documents)			
	S.No.	Name of Bank/financial Institution/ Govt Department/firm	Assistance/relief proposed	
	1	Bank/FI		
	2	Commercial Tax Department		
	3	Electricity Distribution Company		
	4	Labour Deptt		
	5	Others (e.g. loans, creditors, suppliers incl. other SSI units etc.)		
18	To settle the liabilities Commitment from Financial Institutions /Banks/Departments/Other sources on proposed rehabilitation plan and means for the same i.e. concession and/or additional loan for revival (to be attached)			
19	Details Land allotted to sick/closed unit by Deptt of Industries or CSIDC (If any, Pl give Details)			
20	Details of Facilities availed by sick/closed unit i.e. Subsidies/Concessions/Exemptions (if any, Pl give details)			
21	What will be positive and incremental effect on implementation of rehabilitation proposal.			
	No.	Details	At Present	After Rehabilitation(year wise breakup)
	(i)	Fixed Capitel Investment		
	(ii)	Networth		
	(iii)	Turn Over		
	(iv)	Production		
	(v)	Employment		

I hereby declare that no actions against non compliance of Rules/Acts are pending against me/firm. Further , I declare that no criminal actions are pending in any court of law against me/firm.

I hereby undertake to abide by provisions of छत्तीसगढ़ बंद/बीमार उद्योगों हेतु विशेष प्रोत्साहन नियम 2016 as amendment from time to time.

Name & Signature of the Managing Director/Authorized Signatory

(Seal of Company)

Note:

1. The Company must have been declared "Sick" by BIFR and draft scheme should have been circulated by O.A.
2. Application should be accompanied by Annual report/the Audited Balance-Sheets for the preceding three years. The Auditors remarks accompanying the accounts have to be fully dealt and complied with.
3. The sick unit should also submit Techno Economic Viable Report from the Appraisal Agency.
4. Application should be accompanied by a proposed **Rahabilitation Scheme** that envisages full repayment of loan and interest to the banks/Financial institution "as well as dues of the State Govt./sales Tax/G.E.B./Electricity Co. for which, separate sheet should be attached.
5. In case application is signed by the authorized signatory, a Board resolution from the MD of the company authorizing the person to sign the application must be enclosed with the application.

टीप– आवेदन प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर उक्तानुसार हस्ताक्षर किये जावें ।

शपथ पत्र

यह शपथपूर्वक घोषणा की जाती है कि —

1. आवेदन पत्र में दी गयी जानकारी पूर्ण रूप से सही है व किन्हीं भी तथ्यों को नहीं छुपाया गया है.

2. हमारी इकाई द्वारा राज्य शासन की स्थानीय रोजगार देने की नीति (राज्य के स्थानीय निवासियों को अकुशल श्रेणी में 90 प्रतिशत, कुशल श्रेणी में 50 प्रतिशत, व प्रबंधकीय श्रेणी में 33 प्रतिशत रोजगार प्रदान करने की शर्त) का पालन किया जावेगा.

3. औद्योगिक इकाई द्वारा क्रय अभिलेखों के पंजीयन दिनांक से सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के प्रकरणों में 2 वर्षों के भीतर तथा सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों से भिन्न उद्योगों के प्रकरणों में 3 वर्ष के भीतर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किया जावेगा.

4. बंद/बीमार उद्योग का संचालन प्रभावी ढंग से किया जावेगा.

5. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा निर्धारित समस्त प्रदूषण निवारण यंत्रों की स्थापना की जावेगी, इनका सतत् संचालन किया जावेगा तथा प्रदूषण निवारण के निर्धारित मापदण्डों का पालन किया जावेगा.

6. बंद/बीमार उद्योग के क्रय उपरांत बंद/बीमार घोषित अवधि तक उपक्रम द्वारा न तो लाभांश की घोषणा की जावेगी व न ही लाभांश का भुगतान किया जावेगा.

7. पैकेज की प्राप्ति उपरांत 05 वर्ष की अवधि तक चार्टर्ड एकाउंटेन्ट से अंकेक्षित लेखे व बैलेंस शीट उद्योग संचालनालय/जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को उपलब्ध कराया जावेगा. बंद/बीमार उद्योग को प्रतिवर्ष उत्पादन, लाभ, राज्य शासन को देय करों का भुगतान, व रोजगार से संबंधित जानकारी भी प्रदान की जावेगी.

8. उपरोक्त शर्तों की पूर्ति न करने पर पैकेज में दी गयी रियायत के समतुल्य राशि एवं छूट दिनांक से 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज सहित राशि का भुगतान स्वीकृत अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी की मांग पर किया जावेगा एवं स्टाम्प शुल्क से छूट के संबंध में दी गयी रियायत के समतुल्य राशि का भुगतान न करने पर भू-राजस्व की बकाया वसूली के तहत वसूल की जा सकेगी.

स्थान —

दिनांक —

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर एवं रबर मुद्रा

नाम

पद

औद्योगिक इकाई का नाम व पता

परिशिष्ट–2

(नियम 9.1)

(अभिस्वीकृति)

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र जिला ....

छत्तीसगढ़

मेसर्स .... पता .... द्वारा "छत्तीसगढ़ बंद एवं बीमार उद्योगों हेतु विशेष प्रोत्साहन नीति–2016" के अन्तर्गत .... उद्योग को बीमार/बंद उद्योग घोषित किये जाने बाबत् आवेदन मेसर्स .... के द्वारा दिया गया है. यह आवेदन दिनांक .... (अक्षरी) .... को पूर्ण रुपेण सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्राप्त हुआ है.

प्रकरण का पंजीयन क्रमांक .... है.
(भविष्य में पत्राचार में इस पंजीयन क्रमांक का उल्लेख करें)

स्थान

दिनांक

हस्ताक्षर

सक्षम प्राधिकारी/कार्यालय की सील

प्रति,

मेसर्स ....
....
....

परिशिष्ट–3

उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़
उद्योग भवन, रिंग रोड नं. 1, तेलीबांधा, रायपुर
फोन नं. (0771) 2583652–54, फैक्स नं. 2583651
Email : dtic-directorate.cg@gov.in
(औद्योगिक नीति कक्ष)

या

कार्यालय, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र ....

क्रमांक ..../औनीति/201.../ रायपुर, दिनांक

आदेश

(छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्रमांक .... दिनांक .... के अधीन)

छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 20–103/2015/11/(6) दिनांक .... 2016 के तहत् अधिसूचित "छत्तीसगढ़ बंद एवं बीमार उद्योगों हेतु विशेष प्रोत्साहन नियम–2016" की कंडिका 9.6 (अ)/9.6 (ब) के तहत्

गठित जिला स्तरीय समिति/राज्य स्तरीय समिति की ....वीं बैठक दिनांक .... में हुए निर्णय के उपरांत उद्योग के बंद/बीमार होने बाबत् निम्नानुसार प्रमाण पत्र जारी किया जाता है :—

अथवा

छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 20-17/2016/11/(6) दिनांक 07-09-2016 के द्वारा अधिसूचित "छत्तीसगढ़ बंद एवं बीमार उद्योगों हेतु विशेष प्रोत्साहन नियम-2016" की कंडिका 9.5 के अनुसार पात्र पाये जाने पर उद्योग के बंद/बीमार होने बाबत् निम्नानुसार प्रमाण पत्र जारी किया जाता है :—

1. बंद/बीमार औद्योगिक इकाई का नाम एवं पता —
2. बंद/बीमार औद्योगिक इकाई का फैक्ट्री स्थल —
3. औद्योगिक इकाई के बंद/बीमार होने का माह/वर्ष —

उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग/
मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कोरबा, दिनांक 29 अक्टूबर 2016

क्रमांक 13339/भू-अर्जन/2015.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2013 की धारा 4 के सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	नगर/ग्राम (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
कोरबा	पाली	बतरा	5.66 एकड़	खारून व्यपवर्तन योजना के दांई तट नहर निर्माण हेतु.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 10-11-2016 को समय 12.00 बजे स्थान-प्राथमिक शाला भवन कुंभीपानी पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1. लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण — खारून व्यपवर्तन योजना के दांई तट नहर निर्माण हेतु
2. प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या — 24 परिवार
3. अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या — 24 परिवार
4. प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या. — निरंक
5. प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या. — निरंक
6. क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है — हां.

7.	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है.	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	रु. 2217.47 लाख
9.	परियोजना से होने वाला लाभ	—	परियोजना से 1992 हे. में खरीफ सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जावेगी. परियोजना से ग्राम बतरा, सिल्ली, पोलमी एवं निरधी लाभान्वित होंगे.
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये संभावित उपाय किये जा रहे हैं तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय का प्रावधान किया गया है.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	परियोजना से ग्राम बतरा, सिल्ली, पोलमी एवं निरधी में 1992 हे. में खरीफ सिंचाई सुविधा मिलेगी, जल संवर्धन होगा तथा निस्तार एवं पेय जल की समस्या हल होगी.

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. दयानंद, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कबीरधाम, दिनांक 7 सितम्बर 2016

क्रमांक Q/रीडर-1/भू-अर्जन/2016.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	पंडरिया	कोदवागोड़ान प.ह.नं. 08	12.654	अ.वि.अ., जल संसाधन विभाग उप संभाग, पंडरिया.	कोदवाकिलकिला व्यपवर्तन योजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पंडरिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
धनंजय देवांगन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जशपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2016

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	पत्थलगांव	चौराआमा प.ह.नं. 4	2.145	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, जशपुर.	घरजियॉबथान जलाशय के डूबान का पूरक भू-अर्जन प्रकरण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पत्थलगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2016

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	पत्थलगांव	हीरापुर प.ह.नं. 18	1.430	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, जशपुर.	घरजियॉबथान जलाशय की हीरापुर शाखा नहर का पूरक भू-अर्जन प्रकरण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पत्थलगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रियंका शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कबीरधाम, दिनांक 3 अक्टूबर 2016

क्रमांक 1988/भू-अर्जन/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम (छ.ग.)
- (ख) तहसील-सिल्हाटी
- (ग) नगर/ग्राम-सोनझरी, प.ह.नं. 14
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.056 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
4/2, 4/3, 5/1, 5/2, 5/3, 35/2	0.737
4/4, 6/4	0.121
4/25, 6/17	0.138
40, 74/3	0.898
41	0.178
36/2	0.559
47/2	0.158
47/3	0.150
47/1	0.012
44/5, 45/5	0.089
44/7, 45/7	0.044
42/12	0.053
44/6, 45/6	0.040
29	0.320
20/4	0.049
20/2	0.069
20/1	0.061
20/3	0.113
14/7	0.146
(1)	(2)
15/1	0.121
योग	4.056

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-ग्राम सोनझरी, बांधापार, डुबान, उलट एवं बायीं नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के कार्यालय में किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 3 अक्टूबर 2016

क्रमांक 1990/भू-अर्जन/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम (छ.ग.)
- (ख) तहसील-स./लोहारा
- (ग) नगर/ग्राम-बिगारभर्री, प.ह.नं. 14
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.165 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
4/9	0.194
4/10	0.971
योग	1.165

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-ग्राम बिगारभर्री में बांधपार डुबान में अर्जित हेतु निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के कार्यालय में किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 3 अक्टूबर 2016

क्रमांक 1992/भू-अर्जन/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम (छ.ग.)
- (ख) तहसील-स./लोहारा
- (ग) नगर/ग्राम-बिगारभर्री, प.ह.नं. 14
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.564 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
4/18	0.240
4/8	0.060
6/3	0.075
7/2	0.240
7/3	0.090
7/4	0.057
8	0.158
9/1, 10/1, 11/1	0.090
9/2, 10/2, 11/2	0.090
9/3, 10/3, 11/3	0.089
12	0.144
14/4	0.096
16, 17	0.135
योग	1.564

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-ग्राम बिगारभर्री में दायीं नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के कार्यालय में किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 3 अक्टूबर 2016

क्रमांक 1998/भू-अर्जन/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम (छ.ग.)
- (ख) तहसील-स./लोहारा
- (ग) नगर/ग्राम-सरईपतेरा,, प.ह.नं. 14
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.392 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
212/3	0.106
212/1	0.030
133/3	0.113
133/2	0.256
129/2	0.048
129/1	0.214
127, 128	0.096
125/8	0.076
125/2	0.072
140	0.206
125/3	0.079
139/1	0.036
187/2	0.097
139/3	0.120
187/1	0.089
184/5	0.085
184/8	0.085
184/9	0.061
184/7	0.142
197/5	0.085
197/3	0.097

	(1)	(2)
	196/2	0.199
योग		2.392

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-ग्राम सरईपतेरा के दायीं नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के कार्यालय में किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 3 अक्टूबर 2016

क्रमांक 2000/भू-अर्जन/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम (छ.ग.)
- (ख) तहसील-कवर्धा
- (ग) नगर/ग्राम-मैनपुरी, प.ह.नं. 23
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.518 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	117/7	0.016
	117/1	0.162
	117/8	0.008
	117/3	0.125
	108/2	0.065
	117/9	0.097
	106/2	0.045
योग		0.518

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-ग्राम मैनपुरी नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के कार्यालय में किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 3 अक्टूबर 2016

क्रमांक 2004/भू-अर्जन/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम (छ.ग.)
- (ख) तहसील-स./लोहारा
- (ग) नगर/ग्राम-बानो, प.ह.नं. 8
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.020 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	283/2	0.020
योग		0.020

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-ग्राम बानो के नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
धनंजय देवांगन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बेमेतरा, दिनांक 24 नवम्बर 2016

क्रमांक/10/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बेमेतरा
- (ख) तहसील-साजा
- (ग) नगर/ग्राम-परपोड़ी, प.ह.नं. 23/34
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.38 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	979	0.70
	443	0.09
	980/6	0.10
	981	0.62
	440	0.03
	438	0.05
	982	0.11
	442	0.04
	985	0.09
	986	0.25
	987/1	0.05
	441	0.03
	987/2	0.05
	408/1	0.12
	990	0.11
	389	0.74
	406	0.36
	407	0.06
	436/1	0.06
	436/2	0.07
	439	0.06
	994	0.09
	992	0.10
	995/1	0.03
	995/2	0.03
	995/3	0.03
	437	0.05
	408/2	0.11
	993	0.15
योग	29	4.38

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भटगांव जलाशय हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), साजा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बेमेतरा, दिनांक 24 नवम्बर 2016

क्रमांक/11/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बेमेतरा
- (ख) तहसील-साजा
- (ग) नगर/ग्राम-भटगांव, प.ह.नं. 32
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.42 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
548	0.16
597	0.09
600	0.05
553	0.06
554	0.06
555	0.16
556	0.03
557	0.06
558	0.06
561	0.05
562	0.13
563	0.16
564	0.07
567	0.15
568	0.13
569	0.07
570	0.04
559	0.07
560	0.13
571/1	0.05
572/1	0.05
573	0.01
601	0.06
571/2	0.06
572/2	0.05
574	0.07
603	0.02

(1)	(2)
605/1	0.06
598	0.07
602/1	0.06
602/2	0.12
552	0.14
605/2	0.11
605/3	0.11
605/4	0.11
605/5	0.11
605/6	0.04
605/7	0.10
604	0.09
608	0.20
योग 40	3.42

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भटगांव जलाशय अंतर्गत.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), साजा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बेमेतरा, दिनांक 24 नवम्बर 2016

क्रमांक/12/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बेमेतरा
- (ख) तहसील-साजा
- (ग) नगर/ग्राम-कुरलू, प.ह.नं. 34
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.15 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
847/1	0.10
843	0.01
842/3	0.04
योग 3	0.15

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गातापार व्यपवर्तन योजना के बंडपार हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), साजा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बेमेतरा, दिनांक 24 नवम्बर 2016

क्रमांक/13/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बेमेतरा
- (ख) तहसील-साजा
- (ग) नगर/ग्राम-गातापार, प.ह.नं. 31
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.41 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
292	0.09
286	0.15
295/1	0.02
295/2	0.10
300	0.05
योग 5	0.41

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गातापार व्यपवर्तन योजना के बंडपार हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), साजा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बेमेतरा, दिनांक 24 नवम्बर 2016

क्रमांक/14/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बेमेतरा
- (ख) तहसील-साजा
- (ग) नगर/ग्राम-चेचानमेटा, प.ह.नं. 24/35
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.92 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1349	0.14
	1429/1	0.11
	1434	0.04
	1437	0.04
	1438	0.01
	1439/1	0.14
	1532/1	0.05
	1532/2	0.05
	1589/1	0.13
	1597/1	0.16
	1423	0.05
योग	11	0.92

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-ओडिया जलाशय योजना के नहर एवं स्पील चैनल हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), साजा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रीता शाण्डिल्य, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बलरामपुर, दिनांक 1 नवम्बर 2016

क्रमांक 7905/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बलरामपुर
- (ख) तहसील-वाड्रफनगर
- (ग) नगर/ग्राम-ककनेशा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-14.49 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
165	0.37
193	0.66
166	0.80
236	0.18
189	1.15
231	0.12
237	0.45
235	0.09
242	0.39
244	0.18
251	0.21
253	0.18
241	0.18
243	0.08
249	0.25
239	0.32
169	0.37
167	0.12
174	0.07
178	0.27

	(1)	(2)
	184	0.17
	188	0.63
	190	0.06
	192	0.91
	250	0.26
	162	0.80
	185	0.47
	258	0.19
	168	0.15
	170	0.37
	175	0.07
	177	0.27
	182	0.17
	186	0.26
	191	0.80
	240	0.33
	164/1	0.12
	254/2	0.06
	254/4	0.04
	164/4	0.10
	254/1	0.06
	254/7	0.05
	164/2	0.14
	254/6	0.04
	164/3	0.18
	254/3	0.07
	254/5	0.07
	176	0.21
	230/2	0.07
	229	0.04
	238	0.89
योग	51	14.49

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-ककनेशा जलाशय हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), वाड्रफनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अवनीश कुमार शरण, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

सरगुजा, दिनांक 23 अगस्त 2016

क्रमांक 14/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-अम्बिकापुर
- (ग) नगर/ग्राम-टपरकेला
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.903 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	960/6	0.375
	960/3	1.387
	960/13	0.141
योग		1.903

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-श्याम घुनघुट्टा परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अम्बिकापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 23 अगस्त 2016

क्रमांक 15/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-अम्बिकापुर
- (ग) नगर/ग्राम-रेवापुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.788 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
483/7	0.412
503	0.097
546/1	0.178
560	0.028
564	0.045
568	0.028
योग	0.788

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-श्याम घुनघुट्टा परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अम्बिकापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 23 अगस्त 2016

क्रमांक 16/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-अम्बिकापुर
- (ग) नगर/ग्राम-टपरकेला
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-8.672 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
960/77/1	0.730
960/82	0.625
960/81	0.730
960/83	0.105
960/14	0.730
960/84	0.057
960/77/2	0.730
960/80	0.730
960/78	0.657
960/1	2.832
960/85	0.073
960/79	0.673
योग	8.672

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-श्याम घुनघुट्टा परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अम्बिकापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 23 अगस्त 2016

क्रमांक 17/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-अम्बिकापुर
- (ग) नगर/ग्राम-सोनबरसा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.174 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
167	0.413
166	1.336
172/4	0.425
योग	2.174

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-श्याम घुनघुट्टा परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अम्बिकापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 23 अगस्त 2016

क्रमांक 21/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सरगुजा
(ख) तहसील-अम्बिकापुर
(ग) नगर/ग्राम-दरिमा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.390 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
504/2	0.390
योग	0.390

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घुनघुट्टा श्याम परियोजना के बाईं तट मुख्य नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अम्बिकापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भीम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड
बीज भवन, जी.ई.रोड, तेलीबांधा, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 अक्टूबर 2016

क्रमांक/बी-8/32(2)/भार.अधि./2016-17/4526.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/32/भा.अधि./2015-16/3430-3431 रायपुर दिनांक 31-07-2015 द्वारा श्री उमेश कुमार साहू तहसीलदार राजिम को कृषि उपज मंडी समिति राजिम जिला-गरियाबंद का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कार्यालय कलेक्टर जिला-गरियाबंद का ज्ञापन क्रमांक-4871/अधी./2016/दिनांक 29-09-2016 द्वारा श्री ओमप्रकाश वर्मा तहसीलदार राजिम के लिए भारसाधक अधिकारी नियुक्ति करने का प्रस्ताव दिया गया है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री उमेश कुमार साहू तहसीलदार राजिम के स्थान पर श्री ओमप्रकाश वर्मा तहसीलदार राजिम को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति राजिम जिला-गरियाबंद का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 26 अक्टूबर 2016

क्रमांक/बी-8/32(2)/भार.अधि./2016-17/4529.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/32/भा.अधि./2014-15/3927-3928 रायपुर दिनांक 22-10-2014 द्वारा श्री सी.आर. महिलांग वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी तखतपुर को कृषि उपज मंडी समिति तखतपुर जिला-बिलासपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कार्यालय कलेक्टर जिला बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक क/वित्त-1/2016/5236 बिलासपुर दिनांक 07-10-2016 द्वारा श्री एस. एल. शिव कृषि विकास अधिकारी तखतपुर को कृषि उपज मंडी समिति तखतपुर के लिए भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने हेतु नाम प्रस्तावित किया गया है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री सी. आर. महिलांग वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी तखतपुर का अन्यत्र स्थानांतरण हो जाने के कारण उनके स्थान पर श्री एस. एल. शिव कृषि विकास अधिकारी तखतपुर को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति तखतपुर, जिला-बिलासपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 28 अक्टूबर 2016

क्रमांक/बी-8/32(2)/भा.अधि./2016-17/4637.— कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/32/भा.अधि./2015-16/5950-5951 दिनांक 07-12-2015 द्वारा श्री व्ही. एन. भानू वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी गरियाबंद को कृषि उपज मण्डी समिति गरियाबंद का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कार्यालय कलेक्टर जिला गरियाबंद का पत्र क्रमांक 5004/स.अ./2016 गरियाबंद दिनांक 07-10-2016 द्वारा श्री गिरीश रामटेके डिप्टी कलेक्टर गरियाबंद को भारसाधक अधिकारी नियुक्ति प्रस्ताव दिया गया है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री व्ही. एन. भानू वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी गरियाबंद का स्थानांतरण हो जाने के कारण उनके स्थान पर श्री गिरीश रामटेके डिप्टी कलेक्टर गरियाबंद को, उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति गरियाबंद का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 28 अक्टूबर 2016

क्रमांक/बी-8/32(2)/भा.अधि./2016-17/4639.— कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/32(2)/भा.अधि./2016-17/2136-2137 रायपुर दिनांक 23-06-2016 द्वारा श्री पी. आर. निर्मल अनुविभागीय अधिकारी (रा.) मुंगेली को, कृषि उपज मण्डी समिति मुंगेली का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया है.

कार्यालय कलेक्टर जिला-मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 5570/व.लि./2016 दिनांक 05-10-2016 द्वारा श्री सुमित अग्रवाल अनुविभागीय अधिकारी (रा.) मुंगेली को भारसाधक अधिकारी नियुक्ति का प्रस्ताव दिया गया है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री पी. आर. निर्मल, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) मुंगेली का स्थानांतरण हो जाने के कारण उनके स्थान पर श्री सुमित अग्रवाल अनुविभागीय अधिकारी (रा.) मुंगेली को, उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति मुंगेली का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 2 नवम्बर 2016

क्रमांक/बी-8/32(2)/भा.अधि./2016-17/4688.— कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/32(2)/भा.अधि./2015-16/7456-7457 दिनांक 22-02-2016 द्वारा श्री डी. एस. सोरी अपर कलेक्टर जिला-बालोद को कृषि उपज मंडी समिति बालोद, जिला-बालोद का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कार्यालय कलेक्टर जिला-बालोद के ज्ञापन क्रमांक 9756/वि.लि.-1/स्था./2016 बालोद दिनांक 17-10-2016 द्वारा कृषि उपज मंडी समिति बालोद में भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने हेतु श्री यशवंत केराम, उपसंचालक कृषि बालोद जिला-बालोद का प्रस्तावित दिया गया है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री डी. एस. सोरी अपर कलेक्टर जिला-बालोद का अधिवार्षिकी आयु पूर्ण हो जाने के कारण श्री यशवंत केराम, उपसंचालक कृषि बालोद जिला-बालोद को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति बालोद जिला बालोद का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

नरेन्द्र कुमार शुक्ल,
प्रबंध संचालक.

कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, बलौदाबाजार (छ.ग.)

बलौदाबाजार, दिनांक 25 अक्टूबर 2016

क्रमांक/2101/ELU/सिमगा/नग्रानि/2016.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (3) के अनुसरण में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता है कि सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश क्षेत्रीय कार्यालय बलौदाबाजार द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट सिमगा निवेश क्षेत्र की भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र तद्नुसार सम्यक् रूप से अंगीकृत किये जाते हैं, इस सूचना की प्रति उक्त अधिनियम की धारा 15 (4) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है, जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि मानचित्र सम्यक् रूप से तैयार तथा अंगीकृत कर दिया गया है.

अनुसूची

सिमगा निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम चुटचुटिया, खंडवा, सिमगा, दुलदला एवं हरिनभट्ठा ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम हरिनभट्ठा एवं कामता ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम कामता, पौसरी, लांजा, बिनौका एवं ओरेटी ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम ओरेटी, सिमगा एवं चुटचुटिया ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

कमला सिंह,
सहायक संचालक.

कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, उत्तर बस्तर, कांकेर छ.ग.

कांकेर, दिनांक 16 सितम्बर 2016

क्रमांक/412/न.ग्रा.नि./पखांजूर नि.क्षे./2016.—छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अनुसरण में पखांजूर निवेश क्षेत्र का वर्तमान भूमि उपयोग संबंधित मानचित्र एवं रजिस्टर का प्रकाशन सूचना क्रमांक 217/नग्रानि/2016 दिनांक 31-05-2016 द्वारा किया गया था.

अब एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (3) के अधीन अंतागढ़ निवेश क्षेत्र में सम्मिलित ग्रामों का वर्तमान भूमि उपयोग एवं रजिस्टरों को तदानुसार सम्यक् रूप से अंगीकृत किया गया है, तथा उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (4) के अनुसार में इस सूचना को छ.ग. राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है, जो इस बात का साक्ष्य होगा, कि उक्त मानचित्र सम्यक् रूप से तैयार एवं अंगीकृत कर लिया गया है.

अनुसूची

पखांजूर निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम हरिहरपुर, सत्यनंदपुर एवं सुभाषनगर ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम सुभाषनगर, विद्यानगर, सोहगांव एवं उदयपुर ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम उदयपुर एवं इन्द्रप्रस्थ ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम इन्द्रप्रस्थ, पखांजूर कॉलोनी एवं हरिहरपुर ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

उक्त अंगीकृत मानचित्र एवं रजिस्टर छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस के लिए निम्नलिखित स्थानों पर सार्वजनिक अवलोकन हेतु कार्यालयीन समय में अवकाश के दिन को छोड़कर खुला रहेगा.

निरीक्षण स्थल : कार्यालय नगर पंचायत, पखांजूर.

No./412/T.C.P./Pakhanjur/Plla/2016.—The existing land use map and register for the Pakhanjur Planning Area was published under sub section (1) of section 15 of Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 (No. 23 of 1973) vide notice no 217/T.C.P./2016 Kanker, dated 31-05-2016.

Therefore a notice is hereby given for the general information of the public that existing land use map and register of Pakhanjur Planning Area prepared and published are duly adopted under the provision of sub section (3) of the section 15 of the said Adhiniyam and a copy of the notice is also sent for its publication in Chhattisgarh Gazette under the provision of sub section (4) of section 15 of the said Adhiniyam which shall be conclusive evidence of the fact that the above maps and registers has been duly prepared and adopted.

SCHEDULE

NORTH : Village Hariharpur, Satyanandpur and Subhashnagar up to Northern limit of village.
EAST : Village Subhashnagar, Vidyanagar, Sohagoan and Udaypur up to the Eastern limit of Village.
SOUTH : Village Udaypur and Indraprasth up to Southern limit of village.
WEST : Village Indraprasth, Pakhanjur Colony and Hariharpur up to the Western limit of village.

The said adopted maps and register shall be available for inspection or general public at following place during office hours for a period of 15 days from the publication of the notice in Chhattisgarh Gazette.

Place of Inspection : Office of the Nagar Panchayat Pakhanjur.

पी. एल. दिल्लीवार,
सहायक संचालक.

कार्यालय, उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

रायगढ़, दिनांक 28 जुलाई 2016

क्रमांक 965/नग्रानि/2016.—एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि धर्मजयगढ़ निवेश क्षेत्र के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किया गया है, उसकी एक-एक प्रति कलेक्टर जिला रायगढ़, कार्यालय मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत धर्मजयगढ़ तथा कार्यालय उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, रायगढ़ के कार्यालयों में दिनांक 28-07-2016 से कार्यालयीन अवधि के दौरान कार्यकारी दिवसों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है, धर्मजयगढ़ निवेश क्षेत्र की सीमा निम्नलिखित अनुसूची में अंकित है :—

अनुसूची

धर्मजयगढ़ निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम सेमीपाली खुर्द, गेवरघुटरी एवं ग्राम अमली टिकरा की उत्तरी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम अमली टिकरा, शाहपुर एवं ग्राम तराईमार की पश्चिमी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम तराईमार, मेड़रभाटा, दरीडीह एवं ओमना की दक्षिणी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम ओमना, मड़रीमुड़ा, धर्मजयगढ़ एवं ग्राम सेमीपाली खुर्द की पूर्वी सीमा तक.

इस प्रकार तैयार किए गए अनुसूची के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में यदि कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उक्त विनिर्दिष्ट स्थलों पर तथा इस सूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिन की समयावधि के भीतर लिखित रूप से कार्यालय उप संचालक नगर तथा ग्राम निवेश रायगढ़ (छ.ग.) को या निरीक्षण स्थल पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए.

भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी उक्त मानचित्र के संबंध में किसी ऐसे आपत्ति या सुझाव पर जो किसी व्यक्ति के द्वारा विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर प्राप्त हो तो उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय रायगढ़ द्वारा विचार किया जावेगा.

निरीक्षण स्थल : कार्यालय मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत धर्मजयगढ़ जिला रायगढ़ (छ.ग.)

No./965/TCP/2016.—Notice is hereby given that the existing land use maps and register in Dharamjaigarh Planning Area has been prepared under sub section (i) of Section 15 (i) of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 (No. 23 of 1973) and a copy there of is available for inspection from 28-07-2016 during office hours in the office of Collector Raigarh, Chief Municipal Officer, Nagar Panchayat Dharamjaigarh and Deputy Director, Town & Country Planning Raigarh. The limit of the Dharamjaigarh Planning Area is defined in the schedule given below :—

SCHEDULE

Limit of Dharamjaigarh Planning Area

NORTH : Village Semipali Khurd, Gevarghutri and upto the Northern limit village of Amli Tikra.
WAST : Village Amli Tikra, Shaahpur and upto Western limit village of Taraimar.
SOUTH : Village Traimar, MedharBhatha, Daridih and upto the Southern limit of Omna.
EAST : Village Omna, Madrimuda, Dharamjaigarh and upto Eastern limit village of Semipali.

If there be any objection or suggestion with respect to the existing land use map so prepared, it should be sent in writing to the Deputy Director Town & Country Planning, Raigarh C.G. or Inspection site within a period of Thirty days from the date of publication of the Notice in the Chhattisgarh Gazette.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said existing land use map before the period specified above will be considered by the Dy. Director, Town & Country Planning Raigarh.

Inspection Site : Office of the chief municipal officer, Nagar Pachayat Dharamjaigarh, Dist.-Raigarh (C.G.)

आर. एन. प्रसाद,
उप संचालक.

कार्यालय, कलेक्टर भू-अभिलेख शाखा, महासमुन्द (छ.ग.)

महासमुन्द, दिनांक 26 नवम्बर 2016

क्रमांक/135/क/अ.भू.अ./रा.नि.व.लो./रा.नि.मं. सृजन/2016.—छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 105 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं उमेश कुमार अग्रवाल कलेक्टर जिला महासमुन्द एतद्द्वारा तहसील-महासमुन्द, बागबाहरा, पिथौरा, बसना, सरायपाली के राजस्व निरीक्षण मण्डल का सृजन निम्न सूची में दर्शाये अनुसार करता हूं.

तहसील का नाम (1)	रा.नि.मं. का नाम (2)	नवीन रा.नि.मं. का नाम (3)	प्रस्तावित रा.नि.मं. में समाहित प.ह.नं. (4)	कुल पटवारी हल्का (5)	कुल ग्रामों की संख्या (6)
महासमुन्द (50) 195	पटेवा 121	पटेवा	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19	14	71
		झलप	11, 12, 13, 14,15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26	12	50
	महासमुन्द 74	महासमुन्द	36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50	15	43
		तुमगांव	27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35	9	31
बागबाहरा (49) 242	खल्लारी 123	खल्लारी	1, 2, 3, 4, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21	12	58
		बागबाहरा	5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 23, 24, 25	13	65
	कोमाखान 119	कोमाखान	33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45	13	69
		मुनगासेर	26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 46, 47, 48, 49	11	50
पिथौरा (55) 250	पिथौरा 109	पिथौरा	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	14	50
		भुरकोनी	15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30	16	59
	सांकरा 141	सांकरा	44, 45, 46, 47, 48, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55	12	69
		पिरदा	31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43	13	72

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बसना (48) 226	बसना 106	बसना	25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38	14	61
		गढ़फुलझर	39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48	10	45
	भंवरपुर 120	जमदरहा	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	12	68
		भवरपुर	13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24	12	52
सरायपाली (59) 240	सरायपाली 93	सरायपाली	13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25	13	49
		केंदुवा	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	12	44
	खम्हारपाली 147	खम्हारपाली	26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39	14	64
		छुईपाली	40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52	13	83

महासमुन्द, दिनांक 26 नवम्बर 2016

क्रमांक/136/क/अ.भू.अ./रा.नि.वर्कलो./हल्का सृजन/2016.—छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 104 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं उमेश कुमार अग्रवाल कलेक्टर जिला महासमुन्द एतद्द्वारा तहसील-महासमुन्द, बागबाहरा, पिथौरा, बसना, सरायपाली के पटवारी हल्कों का सृजन निम्न सूची में दर्शाये अनुसार करता हूं.

क्र.	तहसील का नाम	रा.नि.मं.	वर्तमान पटवारी हल्का एवं ग्राम पंचायत		प्रस्तावित नवीन पटवारी हल्का एवं ग्राम पंचायत		कैफियत
			प.ह.नं.	ग्राम पंचायत	प.ह.नं.	ग्राम पचांयत	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	महासमुन्द	पटेवा	17	1. पटेवा 2. जोगीडीपा 3. नवागांव 4. बोड़रा	17 51	1. पटेवा 2. जोगीडीपा 1. नवागांव 2. बोड़रा	
			18	1. खट्टा 2. मानपुर 3. रामखेड़ा	18 52	1. खट्टा 2. मानपुर 1. रामखेड़ा 2. चौकबेड़ा	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			20	1. चौकबेड़ा	20	1. बावनकेरा	
				2. बावनकेरा		2. बुबूरडीह	
				3. बंबूरडीह			
		महासमुन्द	42	1. महासमुन्द	42	1. महामसुन्द	न. पा.
				2. पिटियाझर	53	1. पिटियाझर	
2.	बागबाहरा	खल्लारी	12	1. लमकेनी	12	1. लमकेनी	
				2. सुनसुनिया		2. सुनसुनिया	
				3. दारगांव	50	1. दारगांव	
				4. सिर्रीपठारीमुड़ा		2. सिर्रीपठारीमुड़ा	
			19	1. खुटेरी	19	1. खुटेरी	
				2. तमोरा		2. तमोरा	
				3. धरमपुर	51	1. धरमपुर	
				4. ढोंड़		2. ढोंड़	
		कोमाखान	23	1. मुनगासेर	23	1. मुनगासेर	
				2. टेड़ीनारा			
				3. नरतोरी	52	1. नरतोरी	
						2. टेड़ीनारा	
			32	1. चिंगरिया	32	1. चिंगरिया	
				2. सुअरमार		2. सुअरमार	
				3. खैरटखुर्द	53	1. खैरटखुर्द	
			40	1. भलेसर	40	1. द्वारतराकला	
				2. द्वारतराकला			
				3. खैरटकला	54	1. खैरटकला	
						2. भलेसर	
3.	पिथौरा	पिथौरा	01	1. कोकोभांठा	01	1. कोकोभांठा	
				2. छिबर्रा		2. छिबर्रा	
				3. जम्हर	56	1. जम्हर	
			08	1. भोकलूडीह	08	1. भोकलूडीह	
				2. बल्दीडीह	57	1. बल्दीडीह	
				3. सपोस		2. सपोस	
			12	1. पिथौरा	12	1. पिथौरा (न. पंचायत)	
				2. जंघोरा	58	1. जंघोरा	
				3. बरतुंगा		2. बरतुंगा	
			26	1. कोल्दा	26	1. कोल्दा	
				2. नवागांवखुर्द		2. नवागांवखुर्द	
				3. चरौदा	59	1. चरौदा	
				4. परसदा		2. परसदा	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		सांकरा	46	1. माटीदरहा 2. सागुनढाप	46	1. माटीदरहा	
				3. पिपरौद	60	1. पिपरौद 2. सागुनढाप	
4.	बसना	बसना	07	1. जमदरहा 2. पुरुषोत्तमपुर	07	1. जमदरहा 2. पुरुषोत्तमपुर	
				3. कुरमाडीह 4. बनडबरी	49	1. कुरमाडीह 2. बनडबरी	
			10	1. हरदा 2. बुंदेलाभांठा	10	1. हरदा	
				3. भंवरचुवा	50	1. भंवरचुवा 2. बुंदेलाभांठा	
		भंवरपुर	33	1. खेमड़ा 2. खटखटी	33	1. खेमड़ा 2. खटखटी	
				3. बिटांगीपाली 4. भठोरी	51	1. बिटांगीपाली 2. भठोरी	
5.	सरायपाली	सरायपाली	23	1. गोहिरापाली 2. अंतरला	23	1. गोहिरापाली 2. अंतरला	
				3. राजाडीह 4. जंगलबेड़ा	53	1. राजाडीह 2. जंगलबेड़ा	

उमेश कुमार अग्रवाल,
कलेक्टर.

कार्यालय सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमा रायपुर (छ.ग.)

रायपुर, दिनांक 17 अक्टूबर 2016

क्रमांक/1388/रीडर/न.भू.सी./2016.—सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग रायपुर के पत्र क्रमांक F-6-62/2008 सात-3 रायपुर दिनांक 03-09-2009 में दिये गये निर्देशानुसार नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) निरसन अधिनियम 1999 की धारा 3 एवं 4 के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कर्तव्यों के निर्वहन के लिये श्री क्यू.ए.खान (रा.प्र.से.) अपर कलेक्टर रायपुर को अधिकृत किया जाता है.

ओ. पी. चौधरी,
कलेक्टर.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 8th November 2016

No. 8955/III-6-1/2007 (Pt. I).—In exercise of the powers conferred under sub-section (3) of section 11 read with Section 32 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), the High Court of Chhattisgarh here-by confers the powers of Judicial Magistrate First Class upon :—

(1) Shri Bhupesh Kumar Basant, J.M.S.C., Ambikapur
(2) Shri Devashish Thakur, J.M.S.C., Ambikapur
(3) Ku. Apurva Khare, J.M.S.C., Ambikapur
(4) Ku. Seema Jagdalla, J.M.S.C., Balod
(5) Ku. Mayura Gupta, J.M.S.C., Mahasamund
(6) Ku. Mrinalini Katulkar, J.M.S.C., Jagdalpur

Bilaspur, the 8th November 2016

No. 8957/III-6-2/2007.—In exercise of the powers conferred under clause (c) of sub-section (1) of section 260 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), the High Court of Chhattisgarh here-by specially empowers upon (1) Ku. Seema Jagdalla, Judicial Magistrate First Class, Balod (2) Shri Gerjesh Pratap Singh, J.M.F.C., Navagarh (3) Shri Tajudding Asif, J.M.F.C., Dabhra and (4) Shri Satish Kumar Khakha, J.M.F.C., Pamgarh to try in a summary way all or any of the offences specified in the said Section.

By order of the High Court,
ARVIND SINGH CHANDEL, Registrar General.